कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) बालोद (छ.ग.)

//भर्ती हेतु विज्ञापन//

क्रमांक/3473/खाद्य/स्था./2016 बालोद, दिनांक 27.07.2016

संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, संचालनालय, नया रायपुर, के पत्र क्रमांक 2995/स्था.संचा/1(2)/2016 दिनांक 08/06/2016 द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत जिला बालोद के लिये निम्नांकित पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने की दी गई स्वीकृति के अनुसार संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुरूप योग्यता धारित करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/मूल निवासी उम्मीदवारों से **दिनांक 29 अगस्त 2016** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :–

(अ) **सहायक ग्रेड – 03 वेतनमान 5200–20200 + ग्रेड पे. 1900**

क.	विवरण	अजा.	अजजा.	अ.पि.व.	अनारक्षित	योग
01	महिला	0	0	0	0	0
02	भूतपूर्व सैनिक	0	0	0	0	0
03	विकलांग	0	0	0	0	0
04	मुक्त	0	0	0	01	01
कुल	:–	0	0	0	01	01

विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञप्ति पदो के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं आयु, चयन की प्रकिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) बालोद के सूचना पटल व राज्य शासन के वेबसाईट www.cgstate.gov.in एवं जिला की वेबसाईट www.balod.gov.in में देखी जा सकती है।

//विज्ञापन की शर्तें एवं नियम की विस्तृत जानकारी//

(अ) **सहायक ग्रेड 03 पद हेतु शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं :–**

1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

   अथवा

   पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण,
2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा
3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (KEY) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

(ब) **निर्धारित आयु सीमा :–**

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए आयु दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के पत्र क. एफ 3–2/2015/3/एक दिनांक 17.12.2015 द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु दी गई 05 वर्ष की छूट को मिलाकर अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।

उच्चतर आयु में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत् निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

1. यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
2. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं " को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।
4. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 05 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
5. भूतपूर्व सैनिक हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट होगी।

महत्वपूर्ण टीप :–

उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट दिए जाने के उपरान्त शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की गणना दिनांक 01.01.2016 के सदर्भ में की जाएगी।

(स) **आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देश/जानकारी :–**

1. आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5/– रू. का डाक टिकट लगा 02 खाली लिफाफा अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
2. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वास्तविक निवास प्रमाण–पत्र की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें।
3. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा जिसकी स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें। (शासकीय सेवकों को छोड़कर)
4. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।

6. आवेदन पत्र में हाल ही का पासपोर्ट साईज का फोटो नियत स्थान पर चस्पा कर अनिवार्य रूप स्वयं के द्वारा सत्यापित किया जावे।

7. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 29 अगस्त 2016 तक '' कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा), जिला बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491226'' के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक तथा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथो–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगें। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/ प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे उस पर विचार नहीं किया जावेगा।

9. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटीपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

10. विज्ञप्ति जारी दिनांक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात् कार्यालय में प्राप्त आवदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रकिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

12. चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

13. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जावेगा।

14. पदों की संख्या में कमी/वृद्वि हो सकती है। विज्ञापन दिनांक से आगामी 01 वर्ष तक किन्हीं भी कारण से उत्पन्न रिक्तता के विरूद्ध भर्ती भी इसी विज्ञापन से प्राप्त पात्र आवेदकों से नियमानुसार की जा सकेगी।

15. यह नियुक्तियां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम 1961 एवं छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) भर्ती नियम, 1985 से शासित होगी।

16. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार ''कलेक्टर, जिला बालोद'' का रहेगा एवं इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं कलेक्टर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

17. आवेदनकर्ता विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिसमें विज्ञापित पदो के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं आयु, चयन की प्रकिया, आवेदन पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप इत्यादि जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) बालोद के सूचना पटल, राज्य की वेबसाईट www.cgstate.gov.in एवं जिले की वेबसाईट www.balod.gov.in में देख सकते है।

18. विज्ञापित पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत सूचना भेजी जावेगी तथा उसे जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) बालोद के सूचना पटल व वेबसाईट www.balod.gov.in में भी अपलोड किया जावेगा। यदि किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत सूचना की प्राप्ति में विलम्ब होने/सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में सूचना पटल/वेबसाईट में जारी जानकारी/सूचना को ही आवेदक को सूचित होना माना जावेगा।

(द) **नियुक्ति के लिए अपात्रता :–**

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो ! नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार,जिसकी पहले से जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसमें से दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(ई) **चयन की प्रकिया :–**

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी। प्रायोगिक/ कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदो के प्रवर्गवार 10 गुना उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता व प्रायोगिक/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे :–

01	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (10+2)	**60 अंक** (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60% के बराबर अंक)
02	कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (KEY) डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में कौशल परीक्षा	40 अंक
	कुल निर्धारित अंक	**100 अंक**

उपरोक्तानुसार कुल निर्धारित 100 अंक के मेरिट के आधार पर चयन की कार्यवाही की जावेगी।

कलेक्टर
जिला बालोद (छ.ग.)

सहायक ग्रेड 03 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–बालोद (छ.ग.)

फोटो चस्पा करें (स्व–सत्यापित)

1. आवेदित पद का नाम — सहायक ग्रेड – 03
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी) .....
   अंग्रेजी में .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. स्थायी पता .....
   .....
   .....
   .....
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता .....
   .....
   .....
   .....
   .....
6. जन्म तिथि अंकों में .....
   शब्दों में .....
7. दिनांक 01.01.2016 को आयु — वर्ष.....माह.....दिन.....
8. लिंग (पुरूष/महिला) .....
9. जाति श्रेणी (अजा/अजजा/अ.पि.व./अना.).....
   (आरक्षित श्रेणी के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जाति के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।)
   जाति/उपजाति का नाम .....
10. छ.ग. का मूल निवासी (हां/नहीं) .....
    (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा निवास के संबंध में जारी प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।)
11. क्या आवेदक विवाहित है (हां/नहीं) .....
    यदि हां तो विवाह की तिथि .....
12. जीवित संतान की संख्या .....
    यदि 02 से अधिक संतान है तब .....
    अंतिम संतान की जन्मतिथि

13. रोजगार कार्यालय का नाम .....
जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक .....
पंजीयन दिनांक .....
(जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करें)

14. शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्था में कार्यरत है (हां/नहीं) .....
(यदि हां तो नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति संलग्न करें)

15. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
01	02	03	04	05	06	07

16. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....

17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–(प्रमाण पत्र स्व–सत्यापित कर संलग्न करें)

....
....
....
....

दिनांक :– .....
स्थान :– .....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम :–.....
पता :–.....
.....
.....
.....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है, और यदि असत्य पायी जाती है, तो मेरी उम्मदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :– .....
स्थान :– .....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम :–.....